


आदेश

बाड़ी का वाद पत्र साक्षित होके के स्वीकार किया जा रहा है तथा कस्बा उदयपुरवाटी की नरहर में स्थित ग्रामि ख. नं. 942, 944, 947, 967 की खातेदारी में दर्ज महेशकुमार पुत्र गोपाल के बजाय भाबरमल पुत्र गोपाल हुकस्ती किया जा रहा है। तदनुसार तहकीकदार उदयपुरवाटी शासक रिकार्ड में उक्त नाम हुकस्ती करें। उक्त नाम हुकस्ती के आगे का शेष कुम्हार बंधकतुल्य रहेंगे।

पत्रावली क्रम सं. 1000 के अन्तर्गत के आदेश का कार्याचारित्व सफल हो।

निर्णय आदेश दिनांक 13-6-18 को खुले न्यायालय में सुकया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (उ.प्र.)